न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 242 सन् 2018

प्रभा देवी.....वादिनी

बनाम

रवीन्द्र सिंह व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांकः–

15.02.2020

वादिनी की ओर से हाजिरी है, प्रतिवादी अनुपस्थित है। वादिनी की ओर से आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत दाखिल आवेदन पर आदेश आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादिनी का आवेदन में कथन है कि इनके द्वारा पूरी सावधानी के बावजूद सभी तथ्यों को अपने अधिवक्ता के समक्ष नहीं रख पाने के कारण वादपत्र में कुछ आवश्यक तथ्य दर्ज कराना छूट गया है, जिसके लिए संशोधन किया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन के द्वारा नये वर्णित तथ्यों के वादपत्र में दर्ज करा देने से न्यायालय को न्याय करने में सहुलियत होगी एवं पक्षों के बीच चल रहे विवाद को असरदार तरीके

से एवं स्थाई रूप से निपटारा करना संभव होगा। प्रस्तावित संशोधन का विषय वस्तु औपचारिक प्रकृति का है इससे वादपत्र के स्वरूप या स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है अतः निवेदन है कि आवेदन में लिखित विषय वस्तु को वादपत्र में दर्ज कर वादपत्र का संशोधित करने की अनुमति दी जाए।

प्रतिवादी सं0 1 से 3 की ओर से दिनांक 13.11.2019 को उपर्युक्त संशोधन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया जिसमें कथन है कि तकरारी भूमि का स्वरूप क्या है? इसकी पूर्ण जानकारी वादिनी को पूर्व में रही है जिसका स्पष्ट प्रमाण वादिनी को पत्र के द्वारा पूर्व में किया गए धारा 144 दंड प्रकिया संहिता में अनुमंडलीय दण्डाधिकारी, सोनपुर के ओर से पारित आदेश में प्रतिवादी सं0 1 की भूमि को घेरा गया हुआ है और प्रतिवादी सं0 2 और 3 का अवासीय मकान है जिसमें प्रतिवादीगण सपरिवार रहते हैं। प्रतिवादी सं0 1 के घेरा के अंदर काफी पूर्व से दो टेलर ईट, सीता मार्क का और बालू दो टेलर चलान सं0 98711181004045441073 दिनांक 04.10.2018 से खरीदा गया है जो स्थल पर मौजूद है, परंतु वादिनी मरम्मती के माध्यम से प्रतिवादी सं0 1 के ईट व बालू को अपना ईट व बालू दिखाना चाहते हैं। वादिनी अधिवक्ता के प्रतिवेदन के आलोक में जो निर्माण सामग्री प्रतिवादी का है उसे अपना बतलाकर मरम्मती करना चाहते हैं। वादिनी का इस मरम्मतनामा के माध्यम से नये तथ्यों को लेकर नया केस करना चाहते

हैं, जिसके वजह से मुकदमे के स्वरूप पर प्रभाव पड़ता है अतः निवेदन है कि वादिनी का मरम्मत आवेदन दिनांक 02.09.2019 को खारिज किया जाए।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अभी इस वाद में विचारण प्रारंभ नहीं हुआ है। अभी वाद प्रारंभिक चरण में है। ऐसी परिस्थिति में वादिनी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है अतः वादिनी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 02.09.2019 को न्यायहित में 500/—रूपये खर्चे के साथ स्वीकृत किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को आदेश दिया जाता है कि वे चाहे तो अतिरिक्त बयान तहरीर संशोधन के आलोक में दाखिल कर सकते हैं। वादिनी को निर्देश दिया जाता है कि वे समय सीमा के भीतर वादपत्र में संशोधन करें।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28.02.2020

सब जज

सोनपुर सारण।